संख्या-582/2017/766/22-2-2017-17(315)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 20 जुलाई, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी इन्द्रपाल पुत्र श्री अनार सिंह निवासी जनपद-कासगंज की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-9688/प्रोबे0-5-दयायाचिका समिति की बैठक-04.01.2017 दिनांक 28.03.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी इन्द्रपाल पुत्र श्री अनार सिंह, निवासी-बदनपुर, थाना-सोरों, जनपद-कासगंज का रहने वाला है। बन्दी द्वारा फिरौती के उद्देश्य से दिनांक 22.11.97 को 04 अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर राजकुमार का अपहरण कर अपराध कारित किया गया।बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-25/1998 में भा0द0वि0 की धारा-364ए, 307/149 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (कोर्ट सं0-5), एटा के आदेश दिनांक 22.11.2008 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 11.10.2016 तक 07 वर्ष 10 माह 19 दिन की अपरिहार सजा तथा 10 वर्ष 06 माह 05 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। बन्दी के 02 अन्य सहअभियुक्त जमानत पर कारागार से बाहर, 01 अन्य सहअभियुक्त कारागार में सजा भुगत रहा है तथा 01 अन्य सहअभियुक्त मा0 न्यायालय द्वारा दोषमुक्त। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की आयु, काटी गयी सजा, कारित अपराध की प्रकृति, जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी इन्द्रपाल (बन्दी संख्या-23882) पुत्र श्री अनार सिंह निवासी जनपद-कासगंज की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-582/2017/766/(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कासगंज।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in